उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग,2

संख्या-क0नि0-2-1062/ग्यारह-9(156)/16-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(162)-2016

दिनांक:: 29 जुलाई, 2016

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन हैं:-

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते है कि दिनांक 30 जुलाई, 2016 से पंचायत उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित सेनेटरी नैपकिन एवं मैटरनिटी नैपकिन के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।